

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2015/पौष 26, 1936  
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2015/PAUSA 26, 1936

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है, की धारा 52क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. का.आ. 339(अ), तारीख 10 मई, 2007 और उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहन की परिसंकटमय प्रकृति, उनकी चोरी के लिए भेद्यता, प्रतिस्थापन और समुचित भंडारण स्थान के प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहन को, जिनका उनके अभिग्रहण किए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् उनका व्ययन किया जा सकता है, वे अधिकारी जो उनका इस प्रकार व्ययन कर सकते हैं और वह नीति जिसमें उनका व्ययन किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट करती है।

2. मर्दे जिनका व्ययन किया जा सकता है—सभी स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों और वाहनों का व्ययन उपर्युक्त अधिनियम की धारा 52क के अन्तर्गत किया जाएगा।

3. अधिकारी जो व्ययन की कार्यवाही शुरू करेंगे—किसी थाने का प्रभारी कोई अधिकारी या अधिनियम की धारा 53 के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 52क के अधीन स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहनों का व्ययन कर सकता है।

4. व्ययन की रीति—(1) जहां किसी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहन को जब्त किया गया है और निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी को या अधिनियम की धारा 53 के अधीन अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजा गया है या इसे किसी ऐसे अधिकारी ने स्वयं जब्त किया है तो वह इस अधिसूचना के उपबंध-1 के अनुसार ऐसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहनों की सूची तैयार करेगा और इस अधिसूचना के उपबंध-2 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (2) के अधीन जब्त की गई स्वापक औषधि, मनःप्रभावी

पदार्थों अथवा नियंत्रित पदार्थों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा।

(2) धारा 52क की उप-धारा (3) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को अनुज्ञात करने के पश्चात ऊपर खंड (1) में वर्णित अधिकारी सत्यापित सूची, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए फोटोग्राफ और नमूनों को मामले के प्राथमिक साक्ष्य के लिए संभाल कर रखेगा तथा औषधि प्रेषणों के ब्यौरे, औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष को व्ययन के संबंध में समिति द्वारा विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा और उक्त अधिकारी, गोदाम के प्रभारी अधिकारी को जब्त की गई औषधि सहित ब्यौरों की एक प्रति भेजेगा।

5. औषधि व्ययन समिति—केन्द्रीय और राज्य औषधि विधि प्रवर्तन अधिकरण के प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष एक या अधिक औषधि व्ययन समितियों का गठन करेगा जिसमें प्रत्येक में तीन सदस्य होंगे। ऐसी प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी, केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त, राजस्व आसूचना निदेशालय के संयुक्त निदेशक या समतुल्य रैंक कम रैंक का नहीं होगा अथवा इनके समतुल्य रैंक का होगा और प्रत्येक ऐसी समिति प्रत्यक्ष रूप से विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगी।

6. कृत्य—औषधि व्ययन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

- (क) जहां तक यथासंभव और आवश्यक हों, बैठकें करना;
- (ख) जब्त मदों के लम्बित निपटान का विस्तृत पुनर्विलोकन करना;
- (ग) जब्त मदों के व्ययन का आदेश देना; और
- (घ) शीघ्र व्ययन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में संबंधित अन्वेषण अधिकारियों/पर्यवेक्षण अधिकारियों को सलाह देना।

7. जब्त मदों के व्ययन के संबंध में औषधि व्ययन समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया:—(1) गोदाम का प्रभारी अधिकारी उन सभी जब्त मदों की सूची तैयार करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 52क के अधीन प्रमाणित कर दी गई है और संबद्ध व्ययन समिति के अध्यक्ष को उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-पैरा (1) में संदर्भित सूची की जांच-पड़ताल करने के पश्चात और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि उस अधिनियम की धारा 52क की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं, संबंधित औषधि व्ययन समिति के सदस्य इस आशय का आवश्यक प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेंगे और समिति तत्पश्चात जब्त किए जाने की रिपोर्ट, रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में जब्त की गई प्रत्येक मद का भार और अन्य वास्तविक परीक्षा और सत्यापन करेगी और प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

8. जब्त की गई मदों के व्ययन के लिए समिति की शक्तियां—समिति नीचे सारणी में उपदर्शित मात्राओं या मूल्यों तक जब्त की गई मदों के व्ययन के लिए आदेश कर सकेगी:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
क्रम सं.	औषधि का नाम	प्रति खेप मात्रा
1.	हेरोइन	5 किलोग्राम
2.	हशिश (चरस)	100 किलोग्राम
3.	हशिश तेल	20 किलोग्राम
4.	गांजा	1000 किलोग्राम
5.	कोकेन	2 किलोग्राम
6.	मैड्रैक्स	3000 किलोग्राम
7.	पोस्त तृण	10 मीट्रिक टन तक
8.	अन्य स्वापक औषधियां, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ अथवा वाहन	20 लाख रूपए के मूल्य तक

परन्तु यह कि यदि खेप, सारणी 1 में उपदर्शित मात्रा से बड़े या मूल्य से अधिक के हैं, तो औषधि व्ययन समिति अपनी सिफारिशें विभागाध्यक्ष को भेजेगी जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित किसी उच्चस्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा उनके व्ययन के लिए आदेश कर सकेगा।

9. औषधियों के व्ययन की रीति—(1) अफीम, मार्फिन, कोडीन और थिबनीन का व्ययन, कारखाना नियंत्रक के अधीन कार्यरत सरकारी अफीम और अल्कलाइड संकर्म को अंतरित करके किया जाएगा।

(2) उप-पैरा (1) में वर्णित औषधियों से भिन्न औषधियों की दशा में, मुख्य कारखाना नियंत्रक को व्ययन के लिए, तैयार जन्त मदों के ब्यारे उपलब्ध त्वरित संसूचना साधनों द्वारा सूचित किए जाएंगे।

(3) मुख्य कारखाना नियंत्रक उप-पैरा (2) में संदर्भित अनुसार, संसूचना प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 67ख के अधीन नमूने के रूप में प्रदाय के लिए अपेक्षित हो, उपदर्शित करेगा।

(4) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की ऐसी मात्रा यदि कोई हो, जो उप-पैरा (3) के अधीन मुख्य कारखाना नियंत्रक द्वारा अपेक्षित हो, उसे अंतरित की जाएगी और स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की शेष मात्रा का व्ययन, उप पैरा (5), (6) और (7) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(5) स्वापक औषधियां, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ और वाहन जिनका कानूनी, चिकित्सिक अथवा औद्योगिक प्रयोग है, का व्ययन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

(क) स्वापक औषधियां, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ जो कि सूत्रण (फार्म्यूलेशन) के रूप में हैं तथा जिन पर औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लेबल लगाया गया है, उनकी बिक्री, लेबल में उल्लिखित लाइसेंस प्राप्त निर्माता से संघटन (काम्पजिशन) और सूत्रण (फार्म्यूलेशन) की पुष्टि किए जाने के पश्चात औषधि व्ययन समिति द्वारा यथा निर्धारित संविदा अथवा बोली अथवा किसी अन्य तरीके से, ऐसे व्यक्ति को की जाए जो औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों की अपेक्षाएं पूरी करता हो, बशर्ते कि ऐसी बिक्री के समय जन्त किए गए सूत्रण (फार्म्यूलेशन) के उपयोग की न्यूनतम 60 प्रतिशत अवधि शेष हो।

(ख) बिना समुचित लेबल की स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ तथा फार्म्यूलेशन के रूप में जन्त किए गए नियंत्रित पदार्थों को नष्ट कर दिया जाएगा।

(ग) थोक के जन्त किए गए स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ तथा नियंत्रित पदार्थों को जो औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) तथा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अन्तर्गत तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाली अपेक्षाओं को पूरा करने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जन्त पदार्थों के चिकित्सीय उद्देश्य हेतु उनके मानक रूप की संपुष्टि के पश्चात किसी ऐसे व्यक्ति को संविदा अथवा नीलामी अथवा किसी ऐसे विधि से बेचे जा सकते हैं जिन्हें औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो;

(घ) ऐसे नियंत्रित पदार्थ जिनका विधि संवत औद्योगिक उपयोग है, को औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा आदेशों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो संविदा अथवा नीलामी अथवा अन्य किसी विधि के द्वारा बेचे जा सकते हैं;

(ङ.) जन्त किए गए वाहनों को औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार संविदा अथवा नीलामी के माध्यम से बेचा जा सकता है।

(6) ऐसी स्वापक औषधियों मनःप्रभावी पदार्थों तथा नियंत्रित पदार्थों जिनका कोई विधि संवत चिकित्सीय अथवा औद्योगिक उपयोग नहीं हो अथवा जन्त मदों की ऐसी मात्रा जो उपयुक्त प्रयोग हेतु समुचित नहीं हो अथवा जिसे बेचा नहीं जा सकता हो, नष्ट कर दी जाएगी।

(7) उप-वैरा (ख) में संदर्भित नष्टकरण भस्मीकरण के माध्यम से ऐसे भस्मीकरण उपकरण के द्वारा किया जाए केवल उन स्थानों जिनमें उपर्युक्त वायु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगे हों और जहां पर्याप्त सुविधा तथा सुरक्षा विद्यमान हो और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा भस्मीकरण स्वास्थ्य परिसंकटमी या प्रदूषक न हो, यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति की सहमति अभिप्राप्त की जानी चाहिए। औषधि व्ययन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में नष्टकरण किया जाएगा।

10. नष्ट करने के संबंध में विभागाध्यक्ष को सूचना—व्ययन समिति विभागाध्यक्ष को नष्टकरण के कार्यक्रम के संबंध में अग्रिम में कम से कम पन्द्रह दिन पहले सूचित करेगी ताकि ठीक समझे जाने पर वह स्वयं औचक निरीक्षण कर सके या अपने किसी अधिकारी को ऐसे औचक निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सके। प्रत्येक नष्टकरण संक्रिया के पश्चात् औषधि व्ययन समिति विभागाध्यक्ष को नष्टकरण के ब्यौरे देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

11. नष्टकरण का प्रमाणपत्र—सभी संसंगत आंकड़ें जैसे गोदाम, प्रविष्टि संख्यांक, अभिग्रहण की गई औषधियों की सकल और शुद्ध भार आदि अन्तर्विष्ट करते हुए नष्टकरण का एक प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में) तैयार किया जाएगा और उपबंध 3 पर रूपविधान के अनुसार औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। मूल प्रति इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जाएगी, दूसरी प्रति अभिग्रहण मामला फाइल में रखी जाएगी और तीसरी प्रति औषधि व्ययन समिति द्वारा रखी जाएगी।

12. गोदाम पंजी में विक्री के विवरण की प्रविष्टि—जब भी स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ अथवा वाहन की संविदा अथवा नीलामी अथवा औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य विधि से विक्री की जाती है तो गोदाम पंजी में ऐसी विक्री के विवरण को दर्शाने वाली उपयुक्त प्रविष्टि की जाए।

13. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सूचित करना—स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों तथा वाहनों के निपटान का विवरण एक मासिक मास्टर रिपोर्ट में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सूचित किया जाएगा।

#### उपबंध-1

अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों तथा वाहनों की सूची [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क (2) के अधीन]

मामला संख्या.....

अभिग्रहण करने वाला अधिकरण.....

अभिग्रहण अधिकारी.....

अभिग्रहण की तारीख.....

अभिग्रहण का स्थान.....

अस सूची को तैयार करने वाले अधिकारी का नाम और.....

#### सारणी

क्रम सं.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ/ नियंत्रित पदार्थ/ वाहन	क्वालिटी	परिमाण	पैकिंग का ढंग	चिह्नन और अंक	औषधि या पैकिंग की अन्य पहचान कराने वाली विशिष्टियां	उद्भूत का देश	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क (3) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन उपरोक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) के अधीन उपरोक्त सूची के सत्यापन के लिए आवेदन किया है और उस धारा की उपधारा (3) यह अपेक्षा करती है कि कोई मजिस्ट्रेट जिसको आवेदन किया गया है, यथाशीघ्र इस आवेदन को अनुज्ञात करे, मेरा यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त सूची अभिग्रहण दस्तावेज और मेरे समक्ष प्रस्तुत मामले से संबंधित अभिग्रहीत सामान के प्रेषण के अनुसार है, उपरोक्त सूची की शुद्धता प्रमाणित की जाती है।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

### उपबंध-2

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क (2) के अधीन अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों के व्ययन के लिए आवेदन

(थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन कोई सशक्त अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ हैं, द्वारा किया जाने वाला आवेदन)

सेवा में,

विद्वान मजिस्ट्रेट

महोदय,

विषय:- सूची फोटोग्राफ, और अभिग्रहण स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों के नमूने की शुद्धता के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन।

1. सभी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) के अधीन चोरी के लिए भेदता के रूप में पहचान किए गए हैं और उनकी अधिसूचना सं. ....तारीख द्वारा उनका प्रतिस्थापन किया गया है।

2. धारा 52क(2) के अधीन अपेक्षा के अनुसार, मैं अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ की संलग्न सूची प्रस्तुत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि -

- (क) सूची की शुद्धता को प्रमाणित करें;
- (ख) अपनी उपस्थिति में, सूची की औषधियों और पदार्थों के फोटो लेने की अनुज्ञा दें और यह प्रमाणित करें कि ऐसे फोटो सत्य हैं; और
- (ग) आपकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूनों को निकालने की अनुज्ञा दें और इस प्रकार निकाले गए नमूनों की सूची की शुद्धता प्रमाणित करें।

3. मैं आपसे स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उपधारा (3) के अधीन इस आवेदन को अनुज्ञात करने का निवेदन करता हूँ जिससे अभिग्रहण किए गए औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा/ अथवा वाहनों को धारा 52क (1) के अनुसार उसके पश्चात धारा 52क (4) के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र, फोटो, और नमूनों को प्रतिधारित करते हुए व्ययनित किए जा सकें।

भवदीय,

अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तारीख:

स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क (3) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र

में, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उपधारा (3) के अधीन उपरोक्त आवेदन को अनुज्ञात करता हूँ और संलग्न सूची संलग्न फोटोग्राफों और मेरी उपस्थिति में लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता को प्रमाणित करता हूँ।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नाम और पदनाम

तारीख:

235 GE/15-2

उपबंध-3

नष्ट किए जाने का प्रमाण-पत्र

(अधिसूचना संख्या..... तारीख..... का पैरा 11 देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वापक औषधि और/ या मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ हमारी उपस्थिति में नष्ट किए गए।

1. मामला संख्या:
2. स्वापक औषधि/ मनःप्रभावी पदार्थ/ नियंत्रित पदार्थ:
3. अभिग्रहण करने वाला अधिकरण:
4. अभिग्रहण अधिकारी:
5. अभिग्रहण की तारीख:
6. अभिग्रहण का स्थान:
7. गोदाम प्रविष्टि संख्या:
8. अभिग्रहण की गई औषधि का सकल भार:
9. नष्ट की गई स्वापक औषधि और/ या मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (नमूना इत्यादि लेने के पश्चात):
10. कहां और कैसे नष्ट किया गया:

औषधि व्यवयन समिति के अध्यक्ष/ सदस्य के हस्ताक्षर नाम और पदनाम

[फा. सं. V/2/2004-एनसी-II]  
सत्य नारायण दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2015

**G.S.R. 38(E).**—In exercise of the powers conferred by section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985), hereinafter referred to as the said Act, and in supersession of notification number G.S.R. 339(E), dated 10th May, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the hazardous nature, vulnerability to theft, substitution, and constraints of proper storage space, in respect of any narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances, hereby specifies the narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances which shall, as soon as may be after their seizure, be disposed of, the officers who shall dispose them of and the manner of their disposal.

**2. Items to be disposed of.**—All narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances shall be disposed of under section 52A of the said Act.

**3. Officers who shall initiate action for disposal.**—Any officer in-charge of a police station or any officer empowered under section 53 of the said Act shall initiate action for disposal of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances under section 52A of that Act.

4. **Manner of disposal.**—(1) Where any narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance or conveyance has been seized and forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under section 53 of the said Act or if it is seized by such an officer himself, he shall prepare an inventory of such narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances as per Annexure 1 to this notification and apply to any Magistrate under sub-section (2) of section 52A of the said Act as per Annexure 2 to this notification within thirty days from the date of receipt of chemical analysis report of seized narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substances.

(2) After the Magistrate allows the application under sub-section (3) of section 52A of the said Act, the officer mentioned in sub-paragraph (1) shall preserve the certified inventory, photographs and samples drawn in the presence of the Magistrate as primary evidence for the case and submit details of the seized items to the Chairman of the Drug Disposal Committee for a decision by the Committee on the disposal, and the aforesaid officer shall send a copy of the details along with the items seized to the officer-in-charge of the godown.

5. **Drug Disposal Committee.**—The Head of the Department of each Central and State drug law enforcement agency shall constitute one or more Drug Disposal Committees comprising three Members each which shall be headed by an officer not below the rank of Superintendent of Police, Joint Commissioner of Customs and Central Excise, Joint Director of Directorate of Revenue Intelligence or officers of equivalent rank and every such Committee shall be directly responsible to the Head of the Department.

6. **Functions.**—The functions of the Drug Disposal Committee shall be to-

- (a) meet as frequently as possible and necessary;
- (b) conduct a detailed review of seized items pending disposal;
- (c) order disposal of seized items; and
- (d) advise the respective investigation officers or supervisory officers on the steps to be initiated for expeditious disposal.

7. **Procedure to be followed by the Drug Disposal Committee with regard to disposal of seized items.**—

(1) The officer-in-charge of godown shall prepare a list of all the seized items that have been certified under section 52A of the said Act and submit it to the Chairman of the concerned Drug Disposal Committee.

(2) After examining the list referred to in sub-paragraph (1) and satisfying that the requirements of section 52A of the said Act have been fully complied with, the members of the concerned Drug Disposal Committee shall endorse necessary certificates to this effect and thereafter that Committee shall physically examine and verify the weight and other details of each of the seized items with reference to the seizure report, report of chemical analysis and any other documents, and record its findings in each case.

8. **Power of Drug Disposal Committee for disposal of seized items.**—The Drug Disposal Committee can order disposal of seized items up to the quantity or value indicated in the Table below, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
Sl. No.	Name of item	Quantity per consignment
1.	Heroin	5 Kg
2.	Hashish (Charas)	100 Kg
3.	Hashish oil	20 Kg
4.	Ganja	1000 Kg
5.	Cocaine	2 Kg
6.	Mandrax	3000 Kg

7.	Poppy straw	Up to 10 MT.
8.	Other narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances	Up to the value of Rs. 20 lakh:

Provided that if the consignments are larger in quantity or of higher value than those indicated in the Table, the Drug Disposal Committee shall send its recommendations to the Head of the Department who shall order their disposal by a high level Drug Disposal Committee specially constituted for this purpose.

**9. Mode of disposal of drugs.**—(1) Opium, morphine, codeine and thebaine shall be disposed of by transferring to the Government Opium and Alkaloid Works under the Chief Controller of Factories.

(2) In case of narcotic drugs and psychotropic substances other than those mentioned in sub-paragraph (1), the Chief Controller of Factories shall be intimated by the fastest means of communication available, the details of the seized items that are ready for disposal.

(3) The Chief Controller of Factories shall indicate within fifteen days of the date of receipt of the communication referred to in sub-paragraph (2), the quantities of narcotic drugs and psychotropic substances, if any, that are required by him to supply as samples under rule 67B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

(4) Such quantities of narcotic drugs and psychotropic substances, if any, as required by the Chief Controller of Factories under sub-paragraph (3) shall be transferred to him and the remaining quantities of narcotic drugs and psychotropic substances shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-paragraphs (5), (6) and (7).

(5) Narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances having legitimate medical or industrial use, and conveyances shall be disposed of in the following manner:-

(a) narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances which are in the form of formulations and labeled in accordance with the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and rules made thereunder may be sold, by way of tender or auction or in any other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, after confirming the composition and formulation from the licensed manufacturer mentioned in the label, to a person fulfilling the requirements of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and the rules and orders made thereunder, provided that a minimum of 60% of the shelf life of the seized formulation remains at the time of such sale;

(b) narcotic drugs, psychotropic substance and controlled substances seized in the form of formulations and without proper labeling shall be destroyed;

(c) narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances seized in bulk form may be sold by way of tender or auction or in any other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, to a person fulfilling the requirements of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), and the rules and orders made thereunder, after confirming the standards and fitness of the seized substances for medical purposes from the appropriate authority under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the rules made thereunder;

(d) controlled substances having legitimate industrial use may be sold, by way of tender or auction or in any other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, to a person fulfilling the requirements of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and the rules and orders made thereunder;

(e) seized conveyances shall be sold off by way of tender or auction as determined by the Drug Disposal Committee.

(6) Narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances which have no legitimate medical or industrial use or such quantity of seized items which is not found fit for such use or could not be sold shall be destroyed.



(7) Destruction referred to in sub-paragraph (b) shall be by incineration in incinerators fitted with appropriate air pollution control devices, which comply with emission standards and such incineration may only be done in places approved by the State Pollution Control Board or where adequate facilities and security arrangements exist and in the latter case, in order to ensure that such incineration may not be a health hazard or polluting, consent of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall be obtained, and the destruction shall be carried out in the presence of the Members of the Drug Disposal Committee.

10. **Intimation to Head of Department on destruction.**—The Drug Disposal Committee shall intimate the Head of the Department regarding the programme of destruction at least fifteen days in advance so that, in case he deems fit, he may either himself conduct surprise checks or depute an officer for conducting such surprise checks and after every destruction operation, the Drug Disposal Committee shall submit to the Head of the Department a report giving details of destruction.

11. **Certificate of destruction.**—A certificate of destruction (in triplicate) containing all the relevant data like godown entry number, gross and net weight of the items seized, etc., shall be prepared and signed by the Chairman and Members of the Drug Disposal Committee as per format at Annexure 3 and the original copy shall be pasted in the godown register after making necessary entries to this effect, the duplicate to be retained in the seizure case file and the triplicate copy shall be kept by the Drug Disposal Committee.

12. **Details of sale to be entered in godown register.**—As and when the seized narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance or conveyance is sold by way of tender or auction or in any other manner determined by the Drug Disposal Committee, appropriate entry indicating details of such sale shall be made in the godown register.

13. **Communication to Narcotics Control Bureau.**—Details of disposal of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances shall be reported to the Narcotics Control Bureau in the Monthly Master Reports.

#### Annexure 1

### INVENTORY OF SEIZED NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, CONTROLLED SUBSTANCES AND CONVEYANCES

[under Section 52A (2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985]

Case No.-----

Seizing agency:-----

Seizing officer:-----

Date of seizure:-----

Place of seizure:-----

Name and designation of the officer preparing this inventory:-----

TABLE

Sl. No.	Narcotic Drug/ Psychotropic Substance/ Controlled Substance/ Conveyance	Quality	Quantity	Mode of packing	Mark and numbers	Other identifying Particulars of seized items or packing	Country of origin	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Signature, name and designation of the officer

235 GI/15-3

**Certification by the Magistrate under sub-section (3) of Section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985**

Whereas the above officer applied to me under sub-section (2) section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 to certify the above inventory, and sub-section (3) of that section requires any Magistrate to whom an application is made to allow the application as soon as may be, I, having been satisfied that the above inventory is as per the seizure documents and the consignments of seized goods related to the case presented before me, certify the correctness of the above inventory.

Signature, name and designation of the Magistrate

**Annexure 2**

**APPLICATION FOR DISPOSAL OF SEIZED NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, CONTROLLED SUBSTANCES AND CONVEYANCES UNDER SECTION 52A (2) OF THE NDPS ACT, 1985**

*[Application to be made by the officer in-charge of a police station or an officer empowered under section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who has custody of the seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances]*

To,

Learned Magistrate,

\_\_\_\_\_  
Sir,

**Sub: Application for certification of correctness of inventory, photographs and samples of seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances**

1. All narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances have been identified by the Central Government under section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 as vulnerable to theft and substitution vide Notification No.....dated.....
2. As required under sub-section (2) of section 52 A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, I submit the enclosed inventory of seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances, and/or conveyances and request you to-
  - (a) certify the correctness of the inventory;
  - (b) permit taking, in your presence, photographs of the seized items in the inventory and certify such photographs as true; and
  - (c) allow drawing of representative samples in your presence and certify the correctness of the list of samples so drawn.
3. I request you to allow this application under sub-section (3) of Section 52 A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 so that the seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances, and/or conveyances can thereafter be disposed of as per sub-section (1) of section 52A of the said Act retaining the certificate, photographs and samples as primary evidence as per sub-section (4) of section 52A (4).

Yours faithfully,

Signature, name and designation of the officer

Date :

**CERTIFICATE BY THE MAGISTRATE UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 52A OF THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985**

I allow the above application under sub-section (3) of section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and hereby, certify the correctness of the enclosed inventory, the enclosed photographs taken and the list of samples drawn in my presence.

Signature, name and designation of the Magistrate

Date :

**Annexure 3****CERTIFICATE OF DESTRUCTION**

*[See Paragraph 11 of Notification No. dated the.....]*

This is to certify that the following narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances, were destroyed in our presence.

1. Case No.
2. Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance:
3. Seizing agency:
4. Seizing officer:
5. Date of seizure:
6. Place of Seizure:
7. Godown entry number:
8. Gross weight of the drug seized:
9. Net weight of the narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances destroyed (after taking samples, etc.):
10. Where and how destroyed.

**Signature(s), name(s) and designation(s) of Chairman/Members of the Drug Disposal Committee.**

[F. No. V/2/2004-NC.II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.